कार्यालय नगर पालिका परिषद देवरिया।

अल्पकालिक निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद देवरिया के पंजीकृत/नवीनीकृत वर्ष 2009–10 के ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि 12 वॉ वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्न निर्माण कार्य कराये जाने है जिसके लिए निविद दिनांक 22.09.09 को सायं 3 बजें तक बेची जायेगी जो दिनांक 23.09.2009 को सायं 4 बजें निविदा बाक्स में डाली जायेगी, जो उसी दिन उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष कलेक्ट्रेट में खोली जायेगी। निविदा के साथ जमानत धनराशि के रूप में एन0एस0सी0/के0बी0पी0/एफ0 डी0 आर0 जो अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद देवरिया के पद नाम बन्धक कराकर संलग्न कर उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना आवश्यक होगा। बिना जमानत धनराशि के निविदा मान्य नहीं होगी। उक्त विज्ञापन को देवरिया के बेवसाइट WWW.Deoria.nic.in पर देखे जा सकते है।

क्र0सं0	विवरण	आगणन धनराशि (लाख मे)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य	कार्यावधि
1	उमानगर में राजेन्द्र चौक के पास श्री सुमेरू सिंह से रामवृक्ष तक सड़क सूधार व नाली निर्माण कार्य	15.86	158600.00	1600.00	तीन माह
2	वार्ड नं0 15 में हाथी कुण्ड पोखरे के बगल में पार्क निर्माण	8.66	86600.00	1000.00	तीन माह

नियम एवं भार्तेः–

1– रेट परसेंटेज वेसिस पर ही भरना आव यक है।

2– एक या समस्त निविदाओं को विना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

3– ऐसे ठेकेदार जिन्होने त्रुटिपूर्ण कार्य पूर्व में किया हो की निविदा मान्य नही होगी।

4– निविदा स्वीकृति के प चात आदे ा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि आदे ा प्राप्ति के सात दिन पूर्ण होने के उपरान्त अनुबन्ध प्रस्तुत करता है तो प्रत्येक दिन एक सौ रूपये की दर से जुर्माना फार्म 5 पर जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध सम्पादित किया जायेगा।

5– आदे ा प्राप्ति के 15 दिन बाद अनुबन्ध सम्पादन में विलम्ब होने की द ाा में जमानत धनरा ि जब्त करते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

6– निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यपूर्ण करना आव यक है। अन्यथा विलम्ब की द ाा में जमानत धनरा ि जब्त मानते हुए निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

7– ऐसे ठेकेदार जो वर्श 09–10 हेतु अपने ठेकेदारी कार्य का पंजीयन का नवीनीकरण नही कराये है वे निविदा में भाग नही ले सकते है।

8– विभाग में किसी ठेकेदार की जमानत धनरा ि पूर्व से जमा/पड़ी हो तो उसे ठेकेदार निविदा डालने के पूर्व वापस लेकर निविदा के साथ संलग्न करें।

9– निविदा के साथ जमानत धनरा ि की छाया प्रति कतई मान्य नही होगी।

11– निर्धारित तिथि पर कार्य पूर्ण न होने पर 0.25 प्रति ात की दर से विल से प्रति दिन के हिसाब से कटौती कर ली जायेगी।

12– ठेकेदार निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल को भलि भाति देख ले ,ठेकेदार को कार्यस्थल पर 3*2 फीट साइज का साइन बोर्ड लगाना अति आव यक होगा। जिसपर कार्य का नाम ,लागत व निधि का उल्लेख किया जायेगा ,तथा प्रस्तावित कार्य स्थल का तीन चरण (कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, ,द्वितीय कार्य के मध्य में, तृतीय कार्य पूर्ण होने के उपरान्त) में फोटो खिचवा कर कागज पर चस्पा कर विभाग में जमा करना आव यक होगा।

13– निर्माण कार्य पूर्ण होने के छः माह तक निर्माण कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर कार्य के मद मे जमा जमानत धनरा ि जब्त कर ली जायेगी।

14– ठेकेदार को दिये गये समय के अलावा कोई भी समया वृद्धि नही की जायेगी। बल्कि उपरोक्तानुसर कराये कार्य की मात्र भुगतान किया जायेगा।

15– निर्माण कार्य के समय ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता/मानक मे त्रुटि के सम्बन्ध में किसी भी नागरिको की ि ाकायत पर जॉच कराने के उपरान्त कमी पायी जाती है तो विल से कटौती कर ली जायेगी।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद,
देवरिया।

पत्रांक 1124/नि0वि0–09–10/देवरिया दिनांक 03.09.09